न्यायालय सहायक कलैक्टर(प्र0श्रे0)/उप जिलाधिकारी,टूण्डला।

[illegible] T 201701262104272   धारा 80 उ0प्र0राजस्व संहिता 2006

ख्याली राम   बनाम   उ0प्र0 सरकार

मौजा–कोटकी, तहसील टूण्डला।

[illegible] आदेश दि० 27/3/17   निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी ख्याली राम पुत्र हरीसिंह निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (1) आरसी प्रपत्र–25 नियम 85 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2016 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार टूण्डला से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार टूण्डला द्वारा अपनी आख्या दिनांक 10.01.2017 द्वारा राजस्व निरीक्षक टूण्डला की आख्या दिनांक 08.11.2016 को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है, जो पत्रावलित है। तहसीलदार टूण्डला/ राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक मौजा कोटकी के खाता संख्या 53 गाटा संख्या 775 रकवा 0–202 है0 लगानी मु0 6.55 रू0 व खाता संख्या 81 गाटा संख्या 774 रकवा 1–210 है0 लगानी 39–40 रू0 के पूर्ण भाग में से 1/6 भाग का संक्रमणीय भूमिधर है। आवेदक द्वारा गाटा संख्या 775 के रकवा 0–164 है0 मालगुजारी मु0 7.00 रू0 तथा गाटा संख्या 774 है0 के रकवा 0–164 है0 मालगुजारी मु0 5.00 रू0 कुल 02 किता रकवा 0–328 है0 मालगुजारी मु0 12.00 रू0 को अकृषिक घोषित कर लगान मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि कृषि, वागवानी, कुटकुट पालन, मत्स्य पालन के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। स्थल पर भूमि की वाउण्ड्री वाल हो रही है एवं रोड वनी हुई हैं। जिसकी पुष्टि हेतु तहसीलदार द्वारा आख्या के साथ मौके के फोटोग्राफ एवं जोत चकवन्दी आकार पत्र 41 व 45 व मौके का नक्शा नजरी, नकल खसरा खतौनी वर्ष 1420 फसली लगायत 1425 फसली के खाता सं0 53 व 81 की नकल तथा शपथ पत्र संलग्न किया गया है। राजस्व निरीक्षक/ तहसीलदार टूण्डला की जाँच आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र 41 व 45 में गाटा सं0 250 सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है और न ही ग्राम सभा की भूमि है, वल्कि संक्रमणीय भूमिधर कास्तकारो की भूमि है। संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में प्लाटिंग का कार्य हो रहा है। आवेदक ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम 85 (2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन दर के अनुसार मालियत मु0 24,60,000–00 रू0 की एक प्रतिशत धनराशि मु0 24,600–00 रू0 निर्धारित लेखाशीर्षक में चालान संख्या 21 दिनांक 24.03.2017 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि धारा 80(1) के अन्तर्गत ऐसी कोई घोषणा मात्र इस आधार पर नहीं की जा रही है कि जोत या उसका भाग वाहर दीवारी से घिरा है या मौके पर परती है वल्कि संस्तुति इस आधार पर की गयी है कि उक्त भूमि आवादी के रूप में विकसित है। अतः उपरोक्त भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषक घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

पक्षकारों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर रक्षित तहसीलदार टूण्डला की आख्या दिनांक 10.01.2017 के साथ मौके के फोटोग्राफ, नक्शा नजरी, जोत चकवन्दी आकार पत्र 41 व 45, नकल खसरा, खतौनी दाखिल की गयी है, का अवलोकन किया। आवेदक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम 85 (2) के अन्तर्गत उदघोषणा शुल्क की आवश्यक

रकम मु0 24,600—00 रू0 निर्धारित [illegible] चालान संख्या 21 दिनांक 24.03.2017 द्वारा जमा किये गये है। पत्रावली पर उप [illegible] आख्या दिनांक 10.01.2017 से स्पष्ट है कि नियम 85(3) के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि पर कृषि से जुडा कोई कार्य नहीं हो रहा है तथा भूमि बागवानी कुकुक्ट पालन मत्स्य पालन के रूप में प्रयोग में नहीं लायी जा रही है, भूमि की वाउण्ड्रीवाल बनी है, मौके पर सडक बनी है तथा प्लाटिंग का कार्य हो रहा है, जो आवादी के रूप में विकसित हो रही है। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 (4) के अनुसार अकृषक/आवादी घोषित किये जाने से सार्वजनिक, न्यूसेन्स होने की सम्भावना नहीं है। प्रश्नगत् भूमि के अकृषक घोषित किये जाने से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना नहीं है व उक्त भूमि महायोजना के अन्तर्गत नहीं आ रही है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तहसीलदार टूण्डला द्वारा प्रस्तुत आख्या से सहमत होते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत मौजा टूण्डली तहसील टूण्डला के खाता सं0 53 के गाटा सं0 775 रकवा 0—202 हे0 लगानी मु0 6.55 रू0 एवं खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 774 रकवा 1—210 हे0 लगानी मु0 39.40 रू0 भूमि मे से नजरी नक्शा मे लाल रंग से प्रदर्शित खाता सं0 53 के गाटा सं0 775 रकवा 0—164 हे0 लगानी मु0 7.00 रू0 एवं खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 774 रकवा 0—164 हे0 लगानी मु0 5.00 रू0 भूमि को कृषि भूमि से अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टूण्डला की जाँच आख्या दिनांक 10.01.2017 को स्वीकार करते हुए ख्याली राम पुत्र हरीसिंह निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला की मौजा कोटकी स्थित खतौनी 1420 लगायत 1425 फ0 के खाता सं0 53 के गाटा सं0 775 रकवा 0—202 हे0 लगानी मु0 6.55 रू0 एवं खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 774 रकवा 1—210 हे0 लगानी मु0 39.40 रू0 भूमि में से नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित खाता सं0 53 के गाटा सं0 775 रकवा 0—164 हे0 लगानी मु0 7.00 रू0 एवं खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 774 रकवा 0—164 हे0 लगानी मु0 5.00 रू0 भूमि को अकृषक/आवादी भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी करें। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक टूण्डला को प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 27.03.2017

27/3/17

(संगम लाल यादव)
सहायक कलैक्टर(प्र0श्रे0)/
उप जिलाधिकारी, टूण्डला।

उक्त आदेश सदिनांक व हस्ताक्षरित मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक : 27.03.2017

27/3/17

(संगम लाल यादव)

1 क्रम संख्या ____763____ सहायक कलैक्टर(प्र0श्रे0)/

2 प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम श्री योगेश कुमार [illegible] उप जिलाधिकारी, टूण्डला।